न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–47/2024 विविध

बन्तो देवी पत्नी स्व. जसराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. राकेश मीणा सहायक कलक्टर एवं एसडीओ संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
2. नायब तहसीलदार मुरली देव संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

––असल अप्रार्थीगण

3. निशा पत्नी काका खां
4. सादो पुत्री काका खां
5. मनताज पुत्र काका खां
6. काला पुत्र काका खां
7. गुघी पुत्री काका खां } जाति मुसलमान निवासीगण मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. गुलाम नबी पुत्र जलालद्दीन
9. गुलाम मोहम्मद पुत्र बदरदीन–फौत
   9/1 नूरा पुत्र गुलाम मोहम्मद
   9/2 सकीना पत्नी गुलाम मोहम्मद
10. नूरदीन पुत्र बदरदीन
11. न्यामो पुत्री जलालदीन
12. पीर मोहम्मद पुत्र जलालदीन
    12/1 नाजी पुत्र पीर मोहम्मद
    12/2 मुनीरा पत्नी गुलाम मोहम्मद
13. फैज मोहम्मद पुत्र जलालदीन
14. फातमा पुत्री जलालदीन जाति
15. बलार मोहम्मद दत्तक पुत्र नवाबदीन
    15/1 शकिल पुत्र बलार मोहम्मद
    15/2 गुलजारा पुत्री बलार मोहम्मद
16. मारिया पत्नी अलियास पुत्री जलालदीन } जाति मुसलमान निवासीगण मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. महेन्द्र कुमार पुत्र गुरबक्श जाति अरोड़ा निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. मानती देवी पत्नी चानण सिंह जाति अराई सिख निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
19. शाह मोहम्मद पुत्र भूरान (फौत)
    19/1 महबूब खां पुत्र शाह मोहम्मद
    19/2 नूरी खां पुत्र शाह मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. पंजाब नैशनल बैंक शाखा नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज[illegible]कारी अधिनियम बाबत वाद पत्र बन्तो देवी बनाम [illegible] 118/2023 एवं सलंग्न प्रार्थना–पत्र 47/20[illegible] सहायक कलक्टर [illegible]उपखण्ड अधिकारी, संगरिया से किसी अन्य सक्षम [illegible]यायालय में मुन्तकिल [illegible]

उपस्थितः—1. श्री नवदीप कड़वासरा अधिवक्ता—प्रार्थी।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः—01.05.2024**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया द्वारा एक वाद—पत्र जिसका अनवान बंतो देवी बनाम काका खां आदि वाद क्रमांकः 118/2023 एवं संलग्न प्रार्थना—पत्र सं. 47/2022 प्रस्तुत कर चक 20 एम.के.एस. के खाता सं. 43/2018 जमाबंदी सम्मत् 2072—2075 कुल रकबा 8.754 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें वादीया का 0.727 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खाता विभाजन का दावा मय रास्ता खाला की सुविधा उपलब्ध करवाकर दावा डिक्री करने के लिये मय प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थीया के पुत्र मनदीप सिंह पुत्र जसराम सिंह द्वारा श्रीमान् मुख्य शासन सचिव के समक्ष पूर्व उपखण्ड अधिकारी रमेश देव एवं नायब तहसीलदार पर पद का दुरूपयोग, राजस्व का नुकसान एवं भ्रष्टाचार करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सरकारी जमीन पर विधि विरूद्ध स्थगन आदेश पारित कर के कब्जा करवाकर राजस्व को नुकसान एवं अतिक्रमियों को लाभ देने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने पूर्व अभियोजन स्वीकृति प्रार्थना—पत्र एवं 1530000/— प्रदंह लाख हजार रूपये की रिकवरी का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसका जांच वर्तमान में ए.डी. एम.(Stamp), हनुमानगढ़ के समक्ष विचाराधीन है, के द्वारा की जा रही है। प्रार्थीया एक वृद्ध महिला है, जो न्याय पाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 के कार्यालय में बार—बार चक्कर लगाकर मानसिक रूप से परेशान होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थीया को न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। प्रार्थीया उक्त वर्णित वाद को निम्न आधारों पर अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाना चाहती है:—

(क) वादीया के द्वारा जरिये वकील उक्त अप्रार्थी सं. 1 पीठासीन दावा उपखण्ड अधिकारी रमेश देव के समक्ष पेश किया। रमेश देव द्वारा/अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 02.03.23 को हस्ताक्षर किया, जबकि जान—बूझकर प्रार्थीया पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने के लिये दावा दर्ज नहीं करने के लिये फाईल गुम का बहाना बनाकर दर्ज रजिस्टर नहीं किया, ताकि प्रार्थीया के न्याय में बाधा डालकर प्रार्थीया के बेटे द्वारा अभियोजन स्वीकृति एवं वसूली प्रार्थना—पत्र वापिस लिये जाने का दबाव बनाया जा सके।

(ख) प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के पुत्र मनदीप सिंह द्वारा जब अपने दावे की पैरवी के लिये निर्धारित तारीख पर कोर्ट गांव—मानकसर से न्यायालय परिसर संगरिया जाते है तो वर्तमान नायब तहसीलदार के कहने पर जान—बूझकर पुलिस के द्वारा प्रार्थीया व प्रार्थीया के पुत्र मनदीप सिंह को रास्ते में अवैध रूप से कार रोककर नशे की जांच/कागजात चैक करने के लिये घण्टो पर रोककर अनावश्यक रूप से परेशान/टार्चर करते है कि आपने हमारे अधिकारियों पर केस कर रखा है, हम आपकी संगरिया में कहीं भी पार नहीं पड़ने देगें ताकि प्रार्थीया पर दबाव बनाकर अभियोजन स्वीकृति प्रार्थना—पत्र को वापिस नोट प्रेस करवाया जावे।

(ग) प्रार्थीया द्वारा वर्णित वाद की पैरवी करने के लिये अधिवक्ता नियुक्त किया है, वर्तमान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी करने का मना कर दिया है, जब प्रार्थीया द्वारा अन्य अधिवक्ताओं से सम्पर्क किया तो सभी अधिवक्ता से यह कहकर मना कर दिया कि यह मामला हमारे संज्ञान में है क्योंकि पूर्व पीठासीन अधिकारी ने बताया था कि इस मामले में कोई वकील नियुक्त मत होना अब प्रार्थीया का पैरवी के लिये कोई अधिवक्ता नहीं उपलब्ध हो रहा है।

(घ) प्रार्थीया ने वर्तमान पीठासीन अधिकारी राकेश मीणा से जब सम्पर्क कर कहा कि साहब उपरोक्त वर्णित वाद में नियुक्त अधिवक्ताओं पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा नाजायज दबाव बनाना बंद करे, जिसके कारण मेरे को कोई वकील पैरवी के लिये उपलब्ध नहीं हो रहा तो पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली मंगवाकर पढ़कर प्रार्थीया को कहा कि यह मामले में मैं सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि अप्रार्थी सं. 2 व रमेश देव मेरे अच्छे मित्र है। आपके पुत्र ने उनके ऊपर शिकायत कर रखी है, जब तक आप वो शिकायत अभियोजन स्वीकृति प्रार्थीया वापिस नहीं ले लेते, तब तक मैं आपके विचाराधीन प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कर पाऊंगा और ना ही सम्मन जारी होने दूंगा। इस प्रकार वर्तमान अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थीया को न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है और ना ही प्रार्थीया वाद में पैरवी के न्यायालय जाने में समर्थ है एवं प्रार्थीया के मामले में कोई वकील भी [illegible] हो रहा, इस कारण के प्रार्थीया वर्णित प्रकरण को अन्य न्यायालय में [illegible] है।

अतः प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र [illegible] हित के लिए स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र बन्तो देवी बनाम काका खां आदि प्रकरण संख्या 118/2023 एवं सलंग्न प्रार्थना—पत्र 47/2022

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:02 IST
Reason: SelfAttested

को न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, संगरिया से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करके तय समय सीमा में विधि सम्मत कार्यवाही करके न्याय दिलाने जाने निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहा. कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, संगरिया से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी सं. 01 से जवाब/टिप्पणी प्राप्त हुई जिसके अनुसार दिनांक 10.03.2024 को प्रार्थीया का वाद सं. 118/2023 अनवान बन्तो देवी बनाम काका खां आदि न्यायालय में दायरी दिनांक से तलबी की स्टेज पर विचाराधीन है व प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा एक पक्षीय स्थगन दिनांक 17.06.2022 को जारी किया जो अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आज भी मुर्कर है। प्रार्थीया पक्ष के अधिवक्ता को निश्चित तिथि पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश करने हेतु कहा गया तो उसके द्वारा मनगढ़त कहानी गठित कर दबाव डालने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो आधारहीन है। प्रार्थी के उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति/एतराज नहीं है।

अप्रार्थी सं. 02 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में बिन्दु सं. 02 में वर्णित कथन में प्रार्थी द्वारा सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया में वाद लम्बित होना स्वीकार है जिसमें अप्रार्थी सं. 2 को कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। प्रार्थना पत्र की बिन्दु सं. 03 अस्वीकार है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया इसके विरूद्ध कोई झूठी शिकायत दर्ज की गयी है जिसके बाबत अगर कोई जांच की जाती है तो अप्रार्थी सं. 2 करने के लिए तैयार व तत्पर है। बिन्दु सं. 4 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा लम्बित प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। प्रार्थना पत्र की बिन्दु सं. 4(क) अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की बिन्दु सं. 4(ख) में वर्णित कथन अस्वीकार है। मुझ प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 को परेशान करने हेतु झूठे व बेबुनियाद तथ्य लिखे गये है। पुलिस अपना काम स्वतंत्र तरीके से करती है न की किसी प्रशासनिक अधिकारी के कहे अनुसार कार्य करती है। प्रार्थना पत्र के चरण सं. 4 के खण्ड ग, घ अस्वीकार है। मुझ प्रार्थी को इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। बिन्दु सं. 5 से 7 कानूनी है। अतः बिन्दु सं. 08 वर्णित प्रकरण में न्यायहित में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी सं. 21 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 01 ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। बिन्दु सं. 02 में वर्णित कथन में प्रार्थी द्वारा सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया में वाद लम्बित होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की बिन्दु सं. 03 अस्वीकार है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया इसके विरूद्ध कोई झूठी शिकायत दर्ज की गयी है जिसके बाबत अगर कोई जांच की जाती है तो अप्रार्थी सं. 21 करने के लिए तैयार व तत्पर है। बिन्दु सं. 04 ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। बिन्दु सं. 05 ता 7 कानूनी है। अतः बिन्दु सं. 08 वर्णित प्रकरण में न्यायहित में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया एक वृद्ध महिला है, जो न्याय पाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 के कार्यालय में बार–बार चक्कर लगाकर मानसिक रूप से परेशान होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थीया को न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। पीठासीन अधिकारी एवं अप्रार्थी सं. 02 द्वारा अनावश्यक दबाव बना कर उक्त मामले में किसी वकील को पैरवी नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए अब प्रार्थी के प्रकरण की पैरवी के लिये कोई अधिवक्ता नहीं उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है और ना ही प्रार्थी वाद में पैरवी के न्यायालय जाने में समर्थ है एवं प्रार्थी के मामले में कोई वकील भी नियुक्त नहीं हो रहा, इस कारण के प्रार्थी वर्णित प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करवाने की अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 राजनैतिक एवं असम्यक प्रभाव में है और अपने विधिक कृतव्यों का पूर्ण इमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी को यह आशका है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दबाव में आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खारिज कर देगा। इसलिए पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने पर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में [illegible] हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने [illegible] कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 पर जो आरोप लगाये गये है, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी, संगरिया की टिप्पणी के अनुसार सब

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:02 IST
Reason: SelfAttested

असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। फिर भी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 118/2023 अनवान बन्तो देवी बनाम काका खां आदि एवं सलंग्न प्रार्थना–पत्र 47/2022 को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया की टिप्पणी के अवलोकन अनुसार उनके उपर प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप सब असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थी का वाद पत्र न्यायालय में दायरी दिनांक से तलबी की स्टेज पर विचाराधीन है व प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा एक पक्षीय स्थगन दिनांक 17.06.2022 को जारी किया जो अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आज भी मुर्कर है। प्रार्थीया पक्ष के अधिवक्ता को निश्चित तिथि पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश करने हेतु कहा गया तो उसके द्वारा मनगढ़त कहानी गठित कर दबाव डालने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में जो भी आदेश पारित होते है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं किया जाना पाया गया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी के प्रकरण की पैरवी के लिये कोई अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हो रहा है। वर्तमान अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है और ना ही प्रार्थी वाद में पैरवी के न्यायालय जाने में समर्थ है एवं प्रार्थी के मामले में कोई वकील भी नियुक्त नहीं हो रहा। अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 राजनैतिक एवं असम्यक प्रभाव में है और अपने विधिक कृतव्यों का पूर्ण इमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 118/2023 अनवान बन्तो देवी बनाम काका खां आदि एवं सलंग्न प्रार्थना–पत्र 47/2022 को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को स्थानान्तरित किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करें। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को शीघ्र भिजवाये। आदेश की प्रति सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया व सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनाक 01.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:02 IST
Reason: SelfAttested